



मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) नाकशसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री राहुल सैनी

कोर्ट के

उनवान

बनाम

राजस्थान सकार (जिपि तहसील, चूरु)

दावा बाबत

मुकदमा नम्बर :- 88/2021

निर्णय दिनांक :- 12-11-2021

वादी की ओर से स्वयं की व प्रतिवादी की ओर से पुरोका राज्य की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 12-11-2021 को श्री राहुल सैनी (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

दावा वादीनी स्वीकार किया जाता है कि वह 229 रोधी गाम नकाशा में वादी का नाम भण्डू के स्थान पर कोर्ट के दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसील चूरु में उम्मानुसाल राजाह दफ्तर में इसका दस्तावेज करने का आदेश दिया जाता है।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 12-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

12/11/21

(राहुल सैनी)

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी
रूपया	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	प्लीडर की फीस
4.रूपये पर प्लीडर की फीस	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस	कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामील	
जोड़	जोड़



1772
12/11/2021